

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1323] No. 1323] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2018

का.आ. 1465(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 529(अ), तारीख 05 फरवरी, 2018 में जनहित में निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात:—

2. उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में "सात वर्ष के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 17/32/2017-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 529(अ), तारीख 5 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2018

S.O. 1465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 529(E), dated the 5th February, 2018, namely:-

2. In the said notification, in the opening paragraph, the words "for seven years" shall be omitted.

[F. No. 17/32/2017-CL-V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 529(E), dated the 5th February, 2018.

1969 GI/2018